छत्तीसगढ़ विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरूवार, दिनांक 8 सितम्बर, 2011 (भाद्रपद 17,1933)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री मोहम्मद अकबर,सदस्य, जिला कबीरधाम अंतर्गत अमनिया से दमगढ़ मार्ग में पुल निर्माण में अनियमितता किए जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री अजीत जोगी, सदस्य, जांजगीर जल संसाधन संभाग अंतर्गत बसंतपुर बैराज निर्माण हेतु बिना कार्य किए अग्रिम भुगतान किए जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री महंत रामसुंदर दास ,सदस्य, संस्कृत क्लासिक के छात्र-छात्राओं को शिक्षाकर्मी वर्ग -1 एवं वर्ग-2 हेतु अपात्र घोषित किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री राजकमल सिंघानिया, सदस्य, जिला रायपुर की जिला लोक शिक्षा समिति, रायपुर में पदस्थ जिला परियोजना अधिकारी द्वारा समन्वयकों की सेवा समाप्त किए जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री सेवकराम नेताम, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति का प्रथम,द्वितीय,तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री बिरेन्द्र कुमार साहू , सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री जगेश्वर राम भगत, सदस्य, जशपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत-

- (i) ग्राम कुदमुरा में संचालित पूर्व माध्यमिक शाला में अहाता निर्माण करने,
- (ii) ग्राम गैलूंगा (राझामुड़ा पुलिया से) से राझामुड़ा -तुतटोली तक सड़क निर्माण करने ,

(2) श्री दूजराम बौद्ध, सदस्य, पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत-

- (i) ग्राम भलवाही में हाई स्कूल खोलने,
- (ii) ग्राम बघमार में हाई स्कूल खोलने ,
- (iii) ग्राम मुड़पार (खिसोरा) में हाई स्कूल खोलने,
- (iv) ग्राम लोहर्सी में हाई स्कूल खोलने,
- (v) ग्राम कोसा में हाई स्कूल खोलने ,
- (vi) ग्राम धरदेई में हाई स्कूल खोलने,
- (vii) पामगढ़ में पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास खोलने,
- (viii) पामगढ़ में संचालित प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास को 100 सीटर स्वीकृत करने ,
- (ix) ग्राम मुड़पार (ब) में हाई स्कूल खोलने,

क्रमश: 2

(3) श्री बैदूराम कश्यप, सदस्य, चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम मारडूम में कन्या छात्रावास खोलने,

(ii) ग्राम गढ़िया में प्री मैट्रिक बालक छात्रावास खोलने,

(iii) ग्राम तुरांगुर में हाई स्कूल खोलने,

(iv) ग्राम बड़ेकिलेपाल में संयुक्त आश्रम शाला खोलने,

(v) ग्राम मारडूम में पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास खोलने,

(vi) ग्राम साडरा में प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास खोलने,

(vii) ग्राम ढोढरेपाल में संचालित हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने

(viii) ग्राम चितापुर में संचालित हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने

(4) श्री देवजी पटेल, सदस्य, धरसींवा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम धनेली में हाई स्कूल खोलने ,

(ii) ग्राम कारा में हाई स्कूल खोलने ,

(ii) ग्राम आलेसुर में संचालित प्राथमिक शाला को पूर्व माध्यमिक शाला में उन्नयन करने तथा

(5) श्री विरेन्द्र कुमार साहू, सदस्य, गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झिठ्िया से फरदफोड़ मार्ग में पुल निर्माण करने के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे ।

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री चन्द्रशेखर साहू, कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 15 सन् 2011) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्री चन्द्रशेखर साहू, कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2011) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(3) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी विधेयक,2011 (क्रमांक 20 सन् 2011) के पुर: स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

<u>निर्धारित समय</u> 1 घंटा 30 मिनट

(4) श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि -छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल विधेयक, 2011 (क्रमांक 16 सन् 2011) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

45 मिनट

(5) डॉ.रमन सिंह , मुख्यमंत्री,प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 17 सन् 2011) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

7. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घंटा 30 मिनट

प्रदेश में कृषि योग्य भूमि का रकबा निरंतर कम होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अजीत जोगी, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी,सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

रायपुर
दिनांक 7 सितम्बर,2011

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.